

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,  
गाजियाबाद ।

विषय:- जनपद गाजियाबाद की वर्ष 2018-19 हेतु देशी मदिरा/विदेशी मदिरा/बीयर की फुटकर दुकानों एवं मॉडल शॉप का व्यवस्थापन ई-लॉटरी प्रणाली द्वारा किये जाने के सम्बन्ध में ।

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि जनपद में प्रथम चरण एवं दूसरे चरण की अवशेष देशी मदिरा/विदेशी मदिरा/बीयर की फुटकर दुकानों एवं मॉडल शॉप का वर्ष 2018-19 व्यवस्थापन हेतु प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ द्वारा अपने पत्र सं0 1576ई-2/ तेरह-2018-46/2017 दिनांक 20.04.2018 द्वारा चतुर्थ चरण के लिए दिनांक 26.04.2018 को निम्नानुसार मण्डलवार ई-लॉटरी कार्यक्रम निर्धारित किया गया है:-

**समय सारणी**

क्र0सं0	चरण	निर्धारित मण्डल का नाम	ई-लॉटरी की निर्धारित तिथि/समय एवं स्थल
1-	चतुर्थ	मेरठ, मुरादाबाद मण्डल	दिनांक 26.04.2018 को अपरान्ह 5.30 बजे से 7.00 बजे तक स्थल- कलेक्ट्रेट सभागार गाजियाबाद ।

उक्त के परिप्रेक्ष्य में आपसे अनुरोध है कि कृपया दिनांक 26.04.2018 को ई-लॉटरी के निर्धारित समय अपरान्ह 5.30 बजे से प्रारम्भ होने वाली ई-लॉटरी हेतु आप जिला चयन समिति के सदस्य होने के कारण कलेक्ट्रेट सभागार में आप स्वयं उपस्थित रहने का कष्ट करें । साथ ही यह भी कहना है कि दिनांक 26.04.2018 को निर्धारित समय से पूर्व कानून एवं शान्ति व्यवस्था के दृष्टिगत पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती कराने का कष्ट करें ।

(रितु माहेश्वरी)  
जिलाधिकारी,  
गाजियाबाद ।

सं0 320/3-0/तदुपनिर्देश ।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- अपर जिलाधिकारी(प्रशासन)/वित्त एवं राजस्व गाजियाबाद ।
- 2- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ कि तृतीय चरण को होने वाली ई-लॉटरी को सम्पन्न कराये जाने हेतु समस्त तकनीकी व्यवस्था को पूर्ण कराया जाना एवं व्यवस्थापन सम्बन्धी विज्ञापन को भी जनपद गाजियाबाद की वेब-साईट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें ।
- 3- प्रभारी अधिकारी (नजारत) कलेक्ट्रेट गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ कि दिनांक 26.04.2018 को तृतीय चरण की होने वाली ई-लॉटरी हेतु कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में सम्पूर्ण व्यवस्था कराये जाने हेतु नाजिर सदर को निर्देशित करने का कष्ट करें ।
- 4- जिला सूचना अधिकारी गाजियाबाद ।
- 5- आशुलिपिक जिलाधिकारी गाजियाबाद ।

(रितु माहेश्वरी)  
जिलाधिकारी,  
गाजियाबाद ।